रामधन v/s दुल्या 2025/27

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीं मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/12/25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अवगत कराया कि ग्राम डिबस्या में स्थित भूमि खं0नं0 1076, 1077 को कृषि भूमि से गैर मुमकिन आबादी का नामान्तकरण तस्दीक करने के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई है तथा विवादित भूमि वर्तमान में नगर परिषद् गंगापुर सिटी के नाम दर्ज है। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/18/5843 दिनांक 10.06.2016 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप–धारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रत्येक संभाग के सभ्भागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अंधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु एतदद्वारा प्राधिकत किया जाता है। ऐंसी स्थिती में उक्त प्रकरण में सुनवाई का अधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर को होने के कारण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है तथा अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफत्र की जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar Date: 2025.12.10 19:48:43 IST Reason: SelfAttested	